

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 14 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2012 का 12

2. करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, धारा 41 का 2012 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान संशोधन । पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

श्री ज. वि. शर्मा
अध्यक्ष ।
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला-171004.

दिनांक 30-4-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

उम्रेश्वरी देवी
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला-171002.

दिनांक 26-4-2013

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 12 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

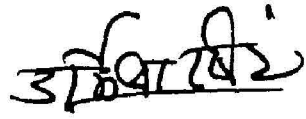
Short title
and
commence-
ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of May, 2012.

12 of 2012 2. In section 41 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012, in sub-section (2), in the proviso, for the words “twenty five years”, the words “fifty years” shall be substituted.

Amendment
of section
41.

मैं, करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 7) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।



राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश ।

राज्यपाल ने करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 7) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

निराज मान सिंह

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।